रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1971/आश्विन 28, 1893

No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1971/ASVINA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 1971

S.O. 4031.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Chaturvedi, retired District & Sessions Judge, as a whole-time Claims Commissioner to deal with the claims for compensation arising out of the accident involving 29 Down Bombay Hawrah Express by catching fire when the train was running between Champa and Baraduar Stations on Bilaspur Division of the South Eastern Railway on 5th May, 1971. His headquarters will be at Bilaspur.

[No. E(O)II71/Apl/3.]

V. P. SAWHNEY, Secy. Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4031.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का IX) के खण्ड 82-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री एस० ए० चतुर्वेदी, को, 5-5-71 को, दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर मण्डल में, चम्पा और बड़बुआर स्टेशनों के बीच 29 डाउन बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में आग लग जाने के फलस्वरूप घटित दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति के दावों के निपटारे के लिए पूर्णकालिक दावा आयुक्त नियुक्त करती है । उनका मुख्यालय बिलासपुर होगा ।

[सं० ई(ओ) II 71/ए० पी० 1/3]

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971